न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 01/2010

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 गुमानसिंह पुत्र भीकसिंह जाति राजपुरोहित निवीस पराखिया तहसील सुमेरपुर		1 ग्राम पंचायत नेतरा 2 सरपंच ग्राम पंचायत नेतरा 3 पूनमसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पराखिया तहसील सुमेरपुर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :—

1. श्री पी0एम0जोशी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुमेरसिह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3

—: निर्णय :—

दिनांक 27/10/2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निगरानी संख्या 57/09 पुनमसिंह बनाम गुमानसिंह वगेरा में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2010 को पुनर्विलोकित करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर पुनर्विलोकनाधीन निर्णय की पत्रावली में प्रार्थी की किसी भी रूप में सुनवाई नही हुई है तथा प्राथी, जो कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 संयोजित था, उसको सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही जैर रिव्यू आदेश पारित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध नोटिस में कथित रूप से गुमानसिंह के बाहर गांव गये होने की रिपोर्ट है और फिर आसामी के आबाद व खुले मकान पर नोटिस की प्रति चस्पा करने की रिपोर्ट है। उक्त रिपोर्ट किसी तिथि की है, किस तिथि को चस्पांगी की गई है, ऐसा कहीं भी अंकित नही है। इसके अलावा कथित मौतबिरान की वल्दियत, सकूनत, उम्र, जाति, पते आदि अंकित नही है, जबकि विधि में स्थानीय क्षैत्र के 2 मौतबीर निवासीयों की उपस्थिति आज्ञापक है। सामान्य विधि की तामीली समबन्धी प्रक्रिया में चस्पांगी की कार्यवाही करने से पूर्व न्यायालय के आदेश प्राप्त करना आज्ञापक है, इसके विकल्पेण कथित चस्पांगी आदि की कोई कार्यवाही की जाने पर न्यायालय की स्पष्ट अवधारणा एवं स्पष्ट आदेश होनो आज्ञापक है कि विपक्षी को इसकी जानकारी थी एवं विपक्षी पर पर्याप्त तामील है। न्यायालय के पर्याप्त तामील के आदेश के पश्चात ही प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। इस प्रकरण में न्यायालय का आदेश न तो पूर्व में चस्पांगी हेतु प्राप्त किया गया एवं न ही न्यायालय की चस्पांगी से तामील पर्याप्त होने की कोई अवधारणा या आदेश है। नोटिस दिनांक 07.12.2009 को न्यायालय के हस्ताक्षर से जारी किये गये है, उसी तिथि को फोरवर्ड किये गये है। दिनांक 07.12.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

भात० जिला कलक्टर, पाली

2009 से 18.12.2009 के बीच की अवधि अत्यन्त ही अल्प अवधि है, जिस अवधि में पाली से सुमेरपुर जाने, तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होने, तहसीलदार द्वारा आदेशित किये जाने एवं सवार को नियुक्त किये जाने एवं सवार द्वारा जाकर तामील करवाये जाने की प्रक्रिया सम्भव प्रतीत नही होती है एवं न ही इस अवधि में ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। प्रोसेस सरवर को तामील के पश्चात अपनी हल्फीया रिपोर्ट तामील बाबत प्रासेसिंग अधिकारी के समक्ष करनी होती है। प्रोसेसिंग अधिकारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय को नोटिस अग्रेसित किये जाने के प्रावधान है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नही किया गया है। प्रार्थी लोनावला में शेखर कॉलेज में केन्टिन में मजदूरी पर नियोजित मजदूर है, जिससे प्रार्थी भूमि कन्सेसन रेट पर नियम 158 के तहत प्राप्त करने का अधिकारी है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है, वह प्रार्थी की पैतृक भूमि है, जिस पर बाडे एवं पडवे के रूप में आधिपत्य एवं निवास प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से करता आया है। उक्त परिसर प्रार्थी को अपने हिस्से अनुसार प्राप्त हुआ है। जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को किसी भी रूप में सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। इन समस्त कारणों से आदेश दिनांक 22.03.2010 को पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2010 को पुनर्विलोकित किया जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डब्ल्यू0एल0एन0 2002 (3) पेज 299, डी0एन0जे0(राज.) 2013 (1) पेज 351, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 918, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1123, आर0एल0आर0 1991 (1) पेज 207 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र का आधार अप्रार्थी को नोटिस का तामील नही होना तथा न्यायालय की अवधारणा नही होना जाहिर किया है, जबकि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.03.2010 में तामील का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु जो नोटिस जारी किया गया है, उसकी पुस्त पर यह स्पष्ट अंकित है कि गुमानसिंह बाहर गया हुआ है तथा इसके पश्चात आबाद एवं खुले मकान पर नोटिस की एक परत चस्पा की गई है, जिस पर दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तामील 11 दिवस में होने के आक्षेप प्रार्थी द्वारा लगाये गये है, जो गलत है। 11 दिवस की अवधि में पर्याप्त रूप से तामील करवाई जा सकती है, इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत दस्ती लेकर भी तामील करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा यह उज्र लिया गया है कि प्रार्थी पराखिया में निवास नही करता है। पूर्व में जो निगरानी प्रस्तुत की गई है, उसमें वही निवास स्थान अंकित किया गया है, जो प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी पराखिया में ही निवास करता है तथा उसी मकान पर नोटिस चस्पा किया गया है। पराखिया छोटा सा गांव है, जिसमें मकान नम्बर अथवा गली नम्बर आदि नही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त मकान बन्द हो। प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर स्वयं का पुश्तैनी कब्जा होना बताया है, जबकि प्रार्थी की उम्र ही 28 वर्ष है। स्वयं प्रार्थी ने पंचायत के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें प्रस्तावित भूमि प्लॉट के रूप में दर्शाई है। उक्त भूमि पूनमसिंह द्वारा जरिये

अति० जिला कलक्टर, पाली

बेचान इकरारनामा के क्रय की गई है। इस प्रकार जैर पुनर्विलोकन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायत अधिनियम एक विशेष कानून है, जिसमें पर सामान्य नियम अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता लागू न होकर रेवेन्यू कोर्ट की प्रक्रिया लागू होती है। जिसके तहत अप्रार्थी को जो तामील करवाई गई है, वह तामील रेवेन्यू कोर्ट की प्रक्रिया अनुसार विधि सम्मत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में समर्थन में आर0आर0डब्ल्यू0 2006 पेज 187, आर0आर0टी0 2005 पेज 454, डी0एन0जे0 2005 पेज 4722, आर0आर0टी0 2013 पेज 79 तथा आर0एल0डब्ल्यू0 1998 (2) पेज 1370 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बसह के प्रत्युत्तर में कथन किया कि जैर पुनर्विलोकनाधीन निर्णय में तामील का अंकन किया है, किन्तु पत्रावली की आदेशिका में इसका अंकन ही नही है तथा न ही नोटिस दस्ती जारी करने के आदेश है। सरपंच को तामील करवाई गई, जबकि नियमानुसार ग्राम सेवक को तामील करवाई जानी चाहिये। जिस इकरारनामे के जरिये अप्रार्थी उक्त भूमि का खरीदना बताते है, वह इकरारनामा पंजीबद्ध विक्रय विलेख की श्रेणी में नही आता है। इस कारण उक्त इकरारनामे से कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावे एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2010 को पुनर्विलोकित करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात क अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त डब्ल्यू0एल0एन0 2002 (3) पेज 299, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 918, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1123, आर0एल0आर0 1991 (1) पेज 207 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त तथ्याभिन्न एवं प्रकरणाभिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर लागू नही होते है। जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रार्थी पुनमसिंह द्वारा ग्राम पंचायत नेतरा के प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.12.2007, जो मिसल संख्या 24/07–08 में जारी पट्टा संख्या 5189 को निरस्त कराने का निवेदन किया। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रक्रिया अनुसार सुनवाई की जाकर प्रकरण में दिनांक 22.03.2010 को निर्णय पारित किया जाकर निगरानी खारिज की गई। इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा जरिये क्रमांक/413 दिनांक 07.12.2009 के अप्रार्थी गुमानसिंह व सरपंच ग्राम पंचायत नेतरा को नोटिस जारी किये गये है। सरपंच ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा नोटिस स्वयं तामील किया गया है ताि गुमानसिंह के नाम जारी नोटिस आबाद व खुले मकान पर चस्पा किया गया है, जिस पर दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात दिनांक 15.03.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहने के कारण वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया गया है। अब गुमानसिंह द्वारा उक्त निर्णय को पुनर्विलोकित कराने का निवेदन किया है तथा अपने प्रार्थना पत्र मे मूल निगरानी के सम्बन्ध में भी तथ्यो को विवेचित किया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्वान्त डी0एन0जे0(राज.) 2013 (1) पेज 351 हस्तगत प्रकरण पर इस कारण चस्पा नही होती, क्योंकि जैर पुनर्विलोकन प्रकरण में अप्रार्थी गुमानसिंह के उसी पते पर नोटिस जारी किया गया है, जो पता अंकित करते हुए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस कारण अप्रार्थी का पता पूर्ण रूपेण सही था, जिस पर चस्पादगी से नोटिस तामील करवाया गया है। पुनर्विलोकन का scope अत्यन्त ही सीमित है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 97 (3) में यह प्रावधान है

अति० जिला कलक्टर, पाली

कि "राज्य सरकार, स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आवेदन पर, किसी भी समय उप–धारा 1 के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर–भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी, यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश, पारित किया गया हो।" विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से लागू होते है। पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग में त्रुटीपूर्ण निर्णय की पुनः सुनवाई करना एवं उसमें सुधार करना अनुज्ञेय नही है। हस्तगत प्रकरण में जो तामील करवाई गई है, वह विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/10/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली